प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- इस योजना का नोडल अभिकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग है, इस योजना के संचालन का दायित्व खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्र के लिये तथा जिला उद्योग केन्द्र को शहरी और ग्रामीण – दोनों क्षेत्रों के लिए दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विनिर्माण, उत्पादन क्षेत्र के लिए रू0 25.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू0 10.00 लाख तक पूंजी विनियोजन के प्रोजेक्ट अनुमन्य है।

पात्रता–

1–अभ्यार्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।
2–आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
3–आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

उद्यमी आवेदन कैसे करें :–

उक्त योजना की विस्तृत जानकारी www.kviconline.gov.in परप्राप्त करते हुए आवदेन पत्र ऑन–लाईन प्रेशित किये जायेगे।उक्त आवेदन केवल ऑन–लाईन ही प्रेशित किये जायेगे।

योजना के अर्न्तगत उपलब्ध सब्सिडी /मार्जिन मनी प्राविधान–

योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों की श्रेणी	मार्जिन मनी	सब्सिडी की दर	
	प्रतिशत	शहरी (प्रतिशत)	ग्रामीण(प्रतिशत)
सामान्य	10	15	25
अ0जा0/अ0ज0ज0/अपि0वि0/अल्प, महिला,भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग और पूर्वोत्तर पहाडी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित	05	25	35

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उ0प्र0 सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम नीति–2016 के प्रस्तर–2.4.3 के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उददेश्य से ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के मार्गदर्शन सिद्धान्त निम्नवत हैः–

पात्रता की शर्तेः–

1–आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
2–आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
3–आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
4–आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

उद्यमी आवेदन कैसे करें :–

उक्त योजना की विस्तृत जानकारी www.diupmsme.upsdc.gov.in पर प्राप्त करते हुए आवदेन पत्र ऑन–लाईन प्रेशित किये जायेगे।उक्त आवेदन केवल ऑन–लाईन ही प्रेशित किये जायेगे।

योजना के अर्न्तगत उपलब्ध सब्सिडी /मार्जिन मनी प्राविधान–

योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों की श्रेणी	मार्जिन मनी	सब्सिडी की दर
	प्रतिशत	शहरी/ ग्रामीण (प्रतिशत)
सामान्य	10	15
अ0जा0/अ0ज0ज0/अपि0वि0/अल्प, महिला,भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग और पूर्वोत्तर पहाडी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित	05	25

1–एक जनपद एक उत्पाद योजना –

एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये ''एक जनपद एक उत्पाद '' कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित है।

पात्रता की शर्तें –

1. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
4. आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
5. आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

उद्यमी आवेदन कैसे करें :–

उक्त योजना की विस्तृत जानकारी www.diupmsme.upsdc.gov.in पर प्राप्त करते हुए आवदेन पत्र ऑन–लाईन प्रेशित किये जायेगे।उक्त आवेदन केवल ऑन–लाईन ही प्रेशित किये जायेगे।

योजना के अर्न्तगत उपलब्ध सब्सिडी /मार्जिन मनी प्राविधान–

(अ) योजनान्तर्गत वित्तीय अनुदान

क्र0सं0	परियोजना लागत	वित्तीय अनुदान
1	रू0 25.00 लाख तक	25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख जो भी कम होमार्जिनमनी के रूपमें देय होगी।
2	रू0 25.00 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक	रू0 6.25 लाख अथवापरियोजनालागत का 20 प्रति" ात जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
3	रू0 50.00 लाख से अधिक एवं 150.00 लाख तक	रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रति" ात जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
4	रू0 150.00 लाख से अधिक	10 प्रति" ात अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

(ब)–योजनान्तर्गत स्वंय अंशदान

क्र0सं0	श्रेणी	स्वंय अंशदान
1	सामान्य	कुल परियोजना लागत का 10 प्रति" ात
2	अनु0 जाति अनु0जनजाति, अन्य पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांगजन	कुल परियोजना लागत का 5 प्रति" ात

ओ0डी0ओ0पी0सामान्य सुविधा केन्द्र,योजना

उत्तर प्रदे" ा सरकार की ओडीओपी एक महत्वकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत जनपद लखनऊ का उत्पाद चिकनकारी एवं जरी.जरदोजी चुना गया है। योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ मे चिकनकारी एवं जरी.जरदोजी हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्राविधान किया गया है।जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

1. चिकनकारी एवंजरी.जरदोजी के उद्यमियो हेतु कच्चा माल, कौा ल प्राप्त श्रमिक एवं एम.एस.एम.ई. सेक्टर की चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी से सम्बन्धित इकाइयो की सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु सामान सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्राविधान है।
2. सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु रू: 15.00 करोड तक की डी0पी0आर0 पर उत्तर प्रदे" ा सरकार द्वारा 90 प्रति" ात तक ग्रांट प्रदान की जा सकती है।
3. सामान्य सुविधा केन्द्र मे नवीन तकनीक की म" ाीनो, श्रमिको का चयन, कच्चामाल का बैक, बायर्स सेलर मीट, डिजाइन केन्द्र, आदि सुविधाओ का प्राविधान हो सकता है।

4. प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र एक एस0 पी0 वी0 द्वारा संचालित किया जायेगा।जो कि ट्स्ट, को–आपरेटिव सोसाइटी या कम्पनी के रूप मे ंपॅजीकृत होना आव" यक है।जिसके सदस्यो की संख्या कम से कम 20 होगी।

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है।इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों/श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल–किट का वितरण किया जायेगा।

प्रशिक्षण

1–योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

2–प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा।

3–प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु. 2000– मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

प्रशिक्षार्थी की पात्रता

1– आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।

2– प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

3– शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।

4– आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो।

5– आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।

आवेदन कैसे करें :–

उक्त योजना की विस्तृत जानकारी www.diupmsme.upsdc.gov.in पर प्राप्त करते हुए आवदेन पत्र ऑन–लाईन प्रेशित किये जायेगे।उक्त आवेदन केवल ऑन–लाईन ही प्रेशित किये जायेगे।

एक जनपद–एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना

उक्त योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु सम्बन्धित जनपद के केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा जारी पहचान पत्र/पंजीयन प्रमाणपत्र/उद्यमी आधार धारक ऐसे व्यक्ति/इकाई या ंपात्र होंगी, जो सम्बन्धित जनपद में उस जनपद हेतु चयनित उत्पाद/उत्पादों के उत्पादन अथवा विपणन कर रहें/रही हैं।**शासनादेश संख्या–221/18–4–2018–18(विविध)/17टी0सी0 दिनांक 07–03–2018 के द्वारा जनपद लखनऊ को चिकनकारी एवं जरी.जरदोजी हेत चिन्हित किया गया है।**

योजनान्तर्गत निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य होगीः–

क0	प्रयोजन	अनुमन्य आर्थिक सहायता
1	प्रदे" ा में आयोजित होने वाले मेला–प्रद" ानियों में प्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75 प्रति" ात अधिकतम रू0 50,000/–
		उत्पादन स्थल से प्रद" नी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75 प्रति" ात, अधिकतम रू0 7,500/–
2	प्रदे" ा के बाहर स्वदे" ा मे ंआयोजित होने वाले मेला–प्रद" ानियो ंमे ंप्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75 प्रति" ात अधिकतम रू0 50,000/–
		उत्पादन स्थल से प्रद" नी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75 प्रति" ात, अधिकतम रू0 15,000/–
		मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने जाने हेतु रेल के 3–ए.सी. क्लास अथवा ए. सी. बस का वास्तविक किराया।
3	विदे" ा व्यापार मेला–प्रद" ानियो ंमे ंप्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75 प्रति" ात अधिकतम रू0 2.00 लाख।
		उत्पादन स्थल से प्रद" नी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75 प्रति" ात (ठ2ठ थ्पत) हेतु अधिकतम रू0 25,000/– एवं ठ2ब थ्पत हेतु अधिकतम रू0 50,000/–
		मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने जाने हेतु रेल के 3–ए.सी. क्लास अथवा ए. सी. बस से की गयी घरेलू यात्रा तथा वायुयान की इकोनॉमी क्लास में की गयी विदे" ा की यात्रा पर किये गये कुल व्यय का 75 प्रति" ात, अधिकतम रू0 75,000/–
4	इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिश्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ	इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिश्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किये गये व्यवसाय में हुए कुल व्यय का 75 प्रति" ात, अधिकतम रू0 10,000/–। उक्त वित्तीय सहायता केवल एक वेबसाइट अथवा पोर्टल हेतु अनुमन्य होगी।

तकनीकी उन्नयन योजना (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन)

- तकनीकी की खरीद और आयात जिससे गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन में वृद्वि(प्राप्त करने हेतु मान्यता प्राप्त संस्थानों/शोध केन्द्रों से) प्राप्त करने में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख है।
- सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाईयों की गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित अतिरिक्त मशीनें क्रय हेतु 50 प्रतिशत पूंजी उपादान अधिकतम रू0 2.00 लाख है।
- आई.एस.आई. या आई.एस.ओ. श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त किये जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपादान के रूप में देय होगा (अधिकतम सीमा रू0 2.00 लाख होगी।)
- उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 90 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रू0 50,000.00 तक देय होगा।

अनु0जाति/जनजाति सबप्लान योजना

- अनु0जाति/जनजाति के युवक युवतियों के लिये रोजगार सृजन के उद्देश्य से स्वरोजगार युक्त/कुशलता (तकनीकी) बढ़ाने हेतु चार माह का एक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस योजना में प्रारम्भ किया गया है। प्रत्येक वर्ष में 4 माह के इस कार्यक्रम में एक माह का सिद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
- योजना में अनु0जाति के लाभार्थियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेड का चयन करते हुए रोजगारपरक ट्रेड में प्रशिक्षित करके स्वतः रोजगार स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है तथा योजना में लाभार्थियों को टूल किट के साथ यातायात व्यय/भोजन आदि की व्यवस्था हेतु मानदेय का प्राविधान है।
- चयन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्श और अधिकतम आयु 45 वर्श होनी चाहिए।
- योजनान्तर्गत जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र लखनऊ से फार्म प्राप्त कर आवेदन किया जाता है।

अन्य पिछडा वर्ग सबप्लान योजना

- योजनान्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियो मे तकनीकी कुशलता बढाने हेतु एक चार माह का सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।
- अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियो हेतु प्रशिक्षण की यह योजना सूक्ष्म, लधु एव मध्यम उघम विभाग द्वारा वित्तपोशित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे एक माह का सिद्धान्तिक प्रशिक्षण एव तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- चयन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्श और अधिकतम आयु 45 वर्श होनी चाहिए।
- गैर तकनीकी ट्रेडों मे प्रशिक्षण हेतु लिखन पठन का ज्ञान जरूरी नही है।
- तकनीकी ट्रेडों मे प्रि"ाक्षण हेतु आठवी पास अनिवाय है।

योजनान्तर्गत जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, लखनऊ से फार्म प्राप्त कर आवेदन किया जाता है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0 योजना

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0 योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है। योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी।

प्रशिक्षार्थी की पात्रता

- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें :–

- उक्त योजना की विस्तृत जानकारी www.diupmsme.upsdc.gov.in पर प्राप्त करते हुए आवदेन पत्र ऑन–लाईन प्रेशित किये जायेगे।उक्त आवेदन केवल ऑन–लाईन ही प्रेशित किये जायेगे।

हस्तशिल्प विकास हेतु योजनाओं का विवरण

विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना :

यह योजना वित्तीय वर्ष 1977–78 से प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में इस योजना का नाम विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को उत्कृष्टता के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

क्र0सं0	योजना का नाम	पुरस्कार की धनराशि	पात्रता
1	राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार	रू0 35,000/– प्रति हस्तशिल्पी	उ0प्र0 के हस्तशिल्पी जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो तथा हस्तशिल्प पहचान पत्र धारक हो।
2	दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार	रू0 20,000/– प्रति हस्तशिल्पी	

हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना :

अ– हस्तशिल्पियों के कौशलविकास की प्रशिक्षण योजना :

यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित की जाती है। जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं।

योजना का नाम	प्रशिक्षण की धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की सं0	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता
हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना	रू0 60,000/– प्रति प्रशिक्षण	10 प्रति प्रशिक्षण	छः माह प्रति प्रशिक्षण	18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है।

ब– निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना :

यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियां बनाई जा रही हैं, में संचालित कराई जाती है। योजना का विवरण निम्नवत् है।

योजना का नाम	प्रशिक्षण की धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की सं0	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता
निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना	रू0 1,50,000/– प्रति प्रशिक्षण	20 प्रशिक्षार्थी प्रति प्रशिक्षण	15 दिवसीय प्रति प्रशिक्षण	वह हस्तशिल्पी पात्र होगें जो हस्तशिल्प/निर्यात से संबद्ध उत्पादों में अनुभव रखते है तथा हस्तशिल्प पहचान पत्र धारक हो।

हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय की व्यय एवं स्टाल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– राज्य सहायता प्रदान की जायेगी। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को दो बार ही प्राप्त होती है।

योजना का नाम	सहायता अनुदान	धनराशि	पात्रता
हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन	परिवहन व्यय की बिल्टी व्यय एवं स्टाल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– प्रति हस्तशिल्पी	रू0 10,000/– प्रति हस्तशिल्पी	हस्तशिल्पी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसके पास हस्तशिल्पी पहचान पत्र हो।

विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना :

योजना का नाम	पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्रता	पेंशन स्वरूप धनराशि	अवधि

विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना	ऐसे ही शिल्पकार/दस्तकार पात्र होते हैं जिन्हें भारत सरकार के शिल्प गुरू के रूप में चयनित किया जाता है अथवा जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्का/राज्य सरकार के हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता प्रमाण–पत्र प्राप्त होते हैं। उनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस पेंशन हेतु वे अधिकृत होते हैं। शारीरिक विकलांग शिल्पकार/दस्तकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट है, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र देय होता है।	रू0 2,000/– प्रतिमाह	चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक

मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना (नई योजना) :–

हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणवत्ता सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या– 748/18–4–2016–8(ह0शि0)/10टी0सी0, दिनांक 02–06–2016 के माध्यम से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गयी है। योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। योजना हेतु पात्रता निम्नवत् है :–

(1) हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।)
(2) हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान–पत्र (आर्टीजन कार्ड) होना आवश्यक है।
(3) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रूपया एक लाख से अधिक न हो।
(4) शिल्पकार सरकारी/अर्ध सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी न हो।
(5) हस्तशिल्पी को एक ही प्रकार की पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य होगा। यदि हस्तशिल्पी द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया हो, तो वह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नही होगा।
(6) योजना से आच्छादित हस्तशिल्पी चार पहिया वाहन का मालिक न हो।

निर्यात से सम्बन्धित योजना –

विपणन विभाग सहायता योजना –		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
मेला एवं प्रदर्शनी।	सूक्ष्म, लघु उद्यम श्रेणी की ई0पी0बी0 में पंजीकृत इकाई	• स्टाल चार्जेस का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 100000/–प्रति मेला • इकनामी क्लास वायूयान भाड़ा का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50,000/– प्रति मेला • अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में तीन विदेशी मेले मे भाग लिया जा सकता है।
विदेशी पत्रीका में विज्ञापन कैटलाग प्रिंटिंग तथा वेबसाइट निर्माण कार्य।	–तदैव–	• कुल व्यय का 60 प्रतिशतअधितम रू0 60,000/– प्रतिवर्ष
विदेशी उपभोक्ता को नमूना भेजने पर हुये व्यय।	–तदैव–	• कोरियर चार्जेस का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 50,000/– प्रतिवर्ष
आईएसओ 9001–2000/बीआईएस 14000, हालमार्क, वूल मार्क/एच.ए.सी.सी.पी. एवं सी मार्क।	–तदैव–	• कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधितमत रू0 75,000/– प्रतिवर्ष
गेट–वे पोर्ट तक माल भाडे पर किये गये व्यय पर अनुदान –		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
आईसीडी/सीएफएस से गेट–वे पोर्ट तक निर्यात किये गये माल के भाड़े पर हुये व्यय पर अनुदान	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ई0पी0बी0 में पंजीकृत इकाई	• निर्यातक इकाई को राज्य की आईसीडी/सीएफएस से गेट–वे पोर्ट तक माल भेजने पर हुये व्यय भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6000/– प्रति टी.ई.यू. (20फीटकन्टेनर)/12000/– प्रति टीईयू (40000 फीट कन्टेनर)

		• निर्यातक इकाई के लिये सहायता की अधिकतम धनराशि 12.00 लाख प्रतिवर्ष। • शिपमेन्ट से 180 दिन के अन्दर दावा प्रस्तुत करना होगा एवं • बैंक रियलाइजेशन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
वायुयान द्वारा भेजे गये निर्यात माल पर सब्सिडी		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
लखनऊ एवं वाराणसी एयर कार्गो काम्पलेक्स द्वारा भेजे गये माल पर हुए व्यय भाड़े पर अनुदान।	इपीबी के साथ पंजीकृत सभी विनिर्माण और मर्चेन्ट निर्यातक इकाईया	अनुदान भाड़े से 20 प्रतिशत या 50 रू0 प्रतिकिलो जो भी कम हो तथा अधिकतम 2.00 लाख प्रतिवर्ष।
राज्य निर्यात पुरस्कार		
योजना	**पात्रता**	**प्रदन्त सुविधायें**
राज्य निर्यात पुरस्कार	• इपीबी के साथ पंजीकृत सभी विनिर्माण और व्यापारी मर्चेन्ट निर्यातक • न्यूनतम निर्यात कारोबार रू0 30,00,000/–	25 निर्दिष्ट श्रेणियों में से प्रत्येक में राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।